**न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**

**पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर.ए.एस.**

**प्रकरण संख्या 18/2017 (राजसमन्द डिक्री)**

1. लालुराम पिता स्वर्गीय श्री तेजराम जी, जाति पालीवाल, निवासी उथनोल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

**बनाम**

1. भंवरलाल पिता तुलसीराम जी मृतक के बजाय :–

1/1. नारायणलाल पिता स्वर्गीय भंवरलाल जी, जाति पालीवाल, निवासी उथनोल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

1/2. उदयलाल पिता स्वर्गीय भंवरलाल जी, जाति पालीवाल, निवासी उथनोल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

1/3. श्रीमती गंगाबाई पुत्री स्व. भंवरलाल जी पत्नी हुक्मीचन्द जी, जाति ब्राहमण, निवासी बामनिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/4. श्रीमती लीलाबाई पुत्री स्व. भंवरलाल जी पत्नी सोहनलाल जी, जाति ब्राहमण, निवासी पासुनिया, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)

1/5. श्रीमती पुष्पा पुत्री स्व. भंवरलालजी पत्नी प्रकाशचन्द्रजी, जाति पुरोहित ब्राहमण, निवासी उथनोल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

1/6. श्रीमती मोहनीबाई पत्नी स्वर्गीय भंवरलाल जी, जाति पालीवाल, निवासी उथनोल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

2. चुन्नीलाल पिता कन्ना जी, जाति जाट, निवासी देपुर, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

3. सब रजिस्ट्रार नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

4. सरकार जरिये तहसीलदार नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान

का.अ.1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री

उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा दि0

04.01.2017 प्रकरण सं0 156/08

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री भूरालाल डांगी अभिभाशक अपीलान्ट

2. श्री सुभाष गाडरी अभिभाषक रे.सं. 1/1

3. श्री कमलेश चौधरी राजकीय अभिभाषक

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:54:33 IST
Reason: SelfAttested

**निर्णय** **दिनांक 16–08–2022**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम उथनोल में आराजी नंबर 2571 रकबा 11 बिस्वा एवं 2572 रकबा 9 बिस्वा भूमि स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल के नाम दर्ज है। रूपलाल का स्वर्गवास होकर वादी एक मात्र रूपलाल का कानूनी वारिस होकर सगा भतीजा है। रूपलाल की सम्पत्ति पर वादी के अलावा अन्य किसी का कोई हक व अधिकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि के पुराने नंबर 77 होकर ''नाडा वालों खेत'' के नाम से जाना जाता था। उक्त आराजियात को मृतक रूपलाल ने प्रतिवादी संख्या 1 के दादा बा गुमानीराम जी से बन्धक रखी थी तथा बन्धक के रूपये 201/– रोकड़ा देकर उक्त आराजी पर रूपलाल ने गुमानीराम से कब्जा प्राप्त कर लिया तत्पश्चात् गुमानीराम के पुत्र तुलसीराम व पोते भंवरलाल ने मिलकर रूपलाल से उपरोक्त आराजियात 799/– रूपये रोकडा प्राप्त किये तथा 299/– रूपये पूर्व के बन्धक राशि में मिलाकर कुल विक्रय राशि रूपये 1000/– में रूपलाल को विक्रय कर दी, जिसके बाद प्रतिवादीगण व उनके पूर्वाधिकारियों का उक्त आराजियात में कोई हक व अधिकार नहीं रहा। रूपलाल संवत् 2013 से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, जिसे 30 वर्षो से भी अधिक समय हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित रह जाने से उनके मन में फितूर आ जाने से बिना किसी हक अधिकार के उक्त आराजियात प्रतिवादी संख्या 2 को विक्रय हस्तान्तरण करने पर आमादा हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर उसे विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जावे एवं निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया तथा निवेदन किया कि वादी ने वाद में झूठे तथ्य अंकित किये हैं, न तो जमीन कभी बन्धक रखी गयी है न ही विक्रय की गयी है। वादग्रस्त जमीन पर कब्जा खातेदार भंवरलाल का होने से उनके द्वारा भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 02–06–2008 को श्रीमती मोहनीबाई पत्नी चुन्नीलालजी जाट को कब्जा सिपुर्द कर दिया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:54:33 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त आराजीयात पर वादी का कभी कब्जा नहीं रहा। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में कुल 7 तनकियां कायम की एवं तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 04–01–2017 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 08–03–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 की ओर से वकील श्री सुभाष गाडरी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर उसके साथ दस्तावेज प्रदर्श 4 का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत कर उसे रेकार्ड पर लेने का निवेदन किया।

हमने उक्त दस्तावेज का अवलोकन किया, जो मात्र टाईप शुदा दस्तावेज है और अधिनस्थ न्यायालय में भी प्रस्तुत किया जा चुका है। हम हम इस स्टेज पर इसे रेकार्ड पर लिया जाना उचित नहीं समझते हैं।

गुणावगुण पर बहस करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट की ओर से जो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है इनसे रेस्पोन्डेन्ट ने कोई जिरह नहीं की तथा जो लिखापढ़ी प्रदर्श 4 प्रस्तुत की गयी है, उसका भी किसी प्रकार का खण्डन नहीं हुआ है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया। अपीलान्ट/वादी के जिम्मे साबित करायी जाने वाली तनकियों को वादी ने बखूबी साबित करवाया गया है, जबकि जिन तनकियों को रेस्पोन्डेन्ट को साबित करवाना था वह उनके द्वारा साबित नहीं करवाये जाने के बाजवूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियों पर त्रुटि पूर्ण निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:54:33 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने वकील अपीलान्ट की बहस का खण्डन करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की विधि सम्मत होना बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2061 से 2064 प्रदर्श 1 अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल विवादित आराजियात का खातेदार दर्ज है तथा प्रदर्श ए1 अनुसार उक्त आराजियात का रजिस्टर्ड विक्रय भंवरलाल द्वारा मोहनीबाई पत्नी चुन्नीलाल जाट के पक्ष में किया जाकर उसे कब्जा सिपुर्द किये जाने का कथन किया है। वादी/अपीलान्ट का वाद मुख्यतः प्रदर्श 4 पर आधारित है, जिस सम्बन्ध में अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 2 बनायी है एवं उक्त तनकी का विस्तृत विवेचन करने हुए उक्त तनकी वादी द्वारा साबित नहीं कराये जाने के आधार पर वादी के विरूद्ध निर्णित की है तथा अन्य तनकियों के निर्णय भी वादी/अपीलान्ट के विरूद्ध हुए हैं। हमारे द्वारा भी उक्त दस्तावेज प्रदर्श 4 का अवलोकन किया गया, जो न तो पठनीय है एवं न ही रजिस्टर्ड दस्तावेज है तथा न ही उक्त दस्तावेज की प्रमाणित वादी व उनके अन्य गवाह के बयानों से साबित होती है। ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय ने अपने तनकीवार विस्तृत विवेचन से वादी/अपीलान्ट का वाद साबित नहीं होना मानते हुए वादी का वाद खारिज किया है, जो उपलब्ध रेकार्ड अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04–01–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16–08–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:54:33 IST
Reason: SelfAttested

# डिगरी व सीगे अपील

## (ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

## (Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **अनीता मीना, आर.ए.एस.** .....

**लालुराम पिता स्वर्गीय तेजराम जी जाति पालीवाल, निवासी उथनोल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द** बनाम **भंवरलाल मृतक के बजाय नारायणलाल पिता स्व0 भंवरलाल पालीवाल, निवासी उथनोल, तहसील नाथद्वारा व अन्य**

अपील नं.....**18 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**नाथद्वारा** .....मुकाम.....मुवर्खे.....**04**.....माह.....**01**.....**2017**

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**16**....माह.....**08**.....सन् **2022** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री भूरालाल डांगी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री सुभाष गाडरी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04–01–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**16**.....माह.....**08**.....**2022** को जारी किया गया।

**(अनीता मीना)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... .....<br>2. स्टाम्प वकालत नामा .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. वकील फीस बाबत ..... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा...<br>2. स्टाम्प अर्जी .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. मेहनताना वकील..... | | |
| मीजान ..... | | | मीजान ..... | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:54:33 IST
Reason: SelfAttested